भारत सरकार
तथा
द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन
(डब्ल्यू आई पी ओ) के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन

भारत सरकार और द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन जो यहां आगे "पक्षों" के रूप में उल्लिखित किए जाएंगे;

विचार करते हुए कि भारत डब्ल्यू पी ओ का सदस्य है तथा डब्ल्यू आई पी ओ द्वारा संचालित अनेक व्यापार-वार्ताओं का पक्षकार है,

यह स्वीकार करते हुए कि बौद्धिक संपदा का रणनीतिक प्रयोग भारत के राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है,

यह विचार करते हुए कि डब्ल्यू पी ओ को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्वभर की बौद्धिक संपदा (आईपी) का उन्नयन करने का अधिदेश है,

ठोस और सक्रिय सहयोग को ध्यान में रखते हुए जो भारत और डब्ल्यू आई पी ओ के बीच बौद्धिक संपदा के विकास में वर्षों से रहा है,

बौद्धिक संपदा के उन्नयन तथा इसके सामाजिक, सांस्कतिक, आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास के उपयोग के संबंध में समान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस सहयोग को और सदृढ़ करने की इच्छा के साथ,

दोनों पक्षों के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हुई सहमति इस प्रकार है:

अनुच्छेद 1
उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन, जिसे इसके बाद "एमओयू" के रूप में उल्लिखित किया जाएगा, का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार और डब्ल्यू आई पी ओ के बीच अधिक उत्साह, सक्रिय एवं सुव्यवस्थित आयोजन तथा संयुक्त गतिविधियों के संचालन, जो भारत में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कतिक और प्रौद्योगिकी विकास के लिए बौद्धिक संपदा के लक्ष्य को बढ़ाएंगी, के माध्यम से सहयोग को सदृढ़ करना है।

अनुच्छेद – 2

कार्यान्वयन

भारत सरकार के लिए समझौता ज्ञापन को कार्यान्वित करने के उद्देश्य हेतु औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग कार्यपालक एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। कार्यपालक एजेंसी इस समझौता ज्ञापन के तहत अथवा इसमें भाग लेने के लिए कार्यों को समन्वित करने हेतु भारत में एक तीसरी एजेंसी अथवा एजेंसियों को मनोनीत कर सकती है।

डब्ल्यू आई पी ओ, अपनी मनोनीत कार्यपालक एजेंसी के जरिए और पार्टियों के अपने-अपने आदेशों के अनुसार भारत सरकार तथा भारत में मनोनीत तीसरी पार्टियों को सहायता प्रदान करने में सहयोग करेगा।

अनुच्छेद – 3

सहयोग के क्षेत्र

समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद-1 में उल्लिखित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सहयोग के क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल होंगे लेकिन इन तक सीमित नहीं होंगे :-

(i) भारत के राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं के संदर्भ में राष्ट्रीय आई पी और नवप्रवर्तनकारी रणनीति का कार्यान्वयन।

(ii) स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण आदि क्षेत्रों में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रौद्योगिकी स्थानांतरण।

(iii) आविष्कारकों, सृजनकर्ताओं तथा उद्यमियों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान और विकास संस्थानो जैसे ज्ञान सृजकों को सशक्त करना।

(iv) राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और संगठनात्मक स्तरों पर नवप्रवर्तन और सृजनात्मकता तथा जनता की पहुंच वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में आई पी के संबंध में जागरूकता।

(v) सृजन, अधिगमन, प्रबंधन और नई प्रौद्योगिकीयों के व्यावसायिकरण और साथ ही प्रौद्योगिकी स्थानांतरण को बढ़ावा देने में आई पी की भूमिका।

(vi) उद्यम प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार पहुंच को बढ़ावा देने के लिए ट्रेडमार्कों, भौगोलिक संकेतों तथा औद्योगिक डिजाइनों का नीतिगत उपयोग।

(vii) कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों के सामूहिक प्रबंधन सहित विशेष रूप से डिजीटल वातावरण में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कॉपीराइट प्रक्रिया का उपयोग।

(viii) नीतिगत प्रबंधन तथा उद्यमों विशेषकर एस एम ई द्वारा आई पी का उपयोग।

(ix) डब्ल्यूआईपीओ तथा मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के बीच 26 सितंबर, 2006 को हुए समझौते के मद्देनजर डब्ल्यूआईपीओ वर्ल्डवाइड एकेडमी (डब्ल्यू डब्ल्यू ए) तथा भारतीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन राष्ट्रीय संस्थान के बीच सहयोग सहित आईपी के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान।

(x) परंपरागत ज्ञान, आनुवांशिक संसाधनों तथा परंपरागत सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के संबंध में आईपी मुद्दे।

(xi) एक दक्ष तथा सेवा-केन्द्रित आईपी प्रशासन को स्थापित करना और आधुनिकीकृत करना।

(xii) आईपी की प्रतिष्ठा बढ़ाना।

(xiii) पीसीटी की तरह वैश्विक संरक्षण प्रणालियों का उपयोग करना।

(xiv) पार्टियों के अपने-अपने डाटाबेस में समाविष्ट होने के लिए पेटेंट और ट्रेडमार्क डाटा की अदला-बदली।

(xv) अन्य कोई क्षेत्र जिस पर पार्टियों द्वारा निर्णय लिया जाना है।

अनुच्छेद – 4

आई पी विकास कार्य योजना

समझौता ज्ञापन के तहत सहयोग संबंधी कार्यकलाप आपसी सहमति के तौर पर कार्यान्वित होंगे।

उक्त अवधि के दौरान समझौता ज्ञापन के तहत कार्यान्वयन हेतु सहयोग के प्राथमिक क्षेत्रों के रूप में चिन्हित कार्यकलापों को प्रस्तुत करते हुए वर्ष 2010-11 की आई पी विकास कार्य योजना पार्टियों के बीच तैयार की गई है। यह कार्य योजना पार्टियों द्वारा समीक्षा के लिए रखी जाएगी तथा उनकी स्पष्ट परस्पर सहमति से संशोधित हो सकती है।

अनुच्छेद – 5
निधियन

इस समझौता ज्ञापन में किसी भी पार्टी के लिए कोई भी वित्तीय दायित्व तब तक सृजित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऊपर दिए गए अनुसार उन पार्टियों की अपनी अपनी बजटीय उपलब्धता के अनुसार उनके द्वारा ऐसे दायित्वों पर आपसी रूप से तथा व्यक्त रूप से सहमति न हो।

अनुच्छेद-6

मूल्यांकन

सहयोगी कार्यकलापों तथा तंत्रों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से पार्टियां समझौता ज्ञापन के प्रभावी होने के पश्चात प्रत्येक दो वर्ष में कार्यान्वयन की समीक्षा और मूल्यांकन करने पर सहमत हैं।

अनुच्छेद – 7

यह समझौता ज्ञापन पार्टियों की आपसी लिखित सहमति द्वारा संशोधित हो सकता है।

अनुच्छेद – 8

प्रभावी तारीख, अवधि और समापन

यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होते ही प्रभावी हो जाएगा तथा तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि पार्टियां आपसी सहमति से अथवा एक पार्टी द्वारा अन्य पार्टी को समझौता ज्ञापन समाप्त करने हेतु अपने आशय की लिखित अधिसूचना देकर इसे समाप्त नहीं किया जाता है।

अंग्रेजी की दो मूल प्रतियों में 13 नवम्बर, 2009 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित।

कृते द वर्ल्ड इंटेलैक्चुअल प्रोपर्टी ऑर्गेनाइजेशन

फ्रांसिस गरी
महानिदेशक

कृते भारत सरकार

अजय शंकर
सचिव
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

अनुबंध

डब्ल्यू आई पी ओ - भारत कार्य योजना 2010 – 11

क्रम संख्या	प्रस्तावित कार्यकलाप	कार्यान्वयन की अनंतिम कार्यसूची
1.	**भारतीय आई एस ए / आई पी ई ए के प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु क्षमता निर्माण**	
	भारतीय आई एस ए / आई पी ई ए के प्रभावी रूप से कार्य करने के संबंध में सहायता देने और सलाह देने के लिए नियुक्त होने वाला डब्ल्यू आई पी ओ का विशेषज्ञ मिशन	2010 की दूसरी छमाही
2.	**राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान का क्षमता निर्माण**	
i.	नए भर्ती किए गए पेटेंट एवं ट्रेडमार्क परीक्षकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम / पाठ्यचर्या तथा सामग्री की संरचना	2010 की पहली छमाही
ii.	एन आई आई पी एम, नागपुर के संकाय के लिए प्रशिक्षण तथा आई पी अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या कार्यक्रमों को आयोजित करना	2010 की दूसरी छमाही
iii.	विश्व में अन्य अकादमियों के साथ जुड़ने में समर्थ बनाने के लिए एन आई आई पी एम को आई पी अकादमियों के डब्ल्यू आई पी ओ वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा बनाना	2011
3.	**आई पी के संबंध में जागरूकता फैलाने / बढ़ाने के लिए कार्यकलाप**	
i.	सामूहिक मार्कों और प्रमाणन मार्कों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए औद्योगिक कलस्टरों हेतु आई पी जागरूकता के संबंध में सेमिनारों का आयोजन	एक रोविंग सेमिनार (3 या 4 शहरों में तथा वर्ष 2010-11 में एक-एक)
ii.	जी आई की प्रभावशाली उपयोगिता तथा कारोबार विकास में इसकी भूमिका पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए जी आई के पंजीकृत मालिकों तथा भावी जी आई स्वामियों के लिए एक क्षेत्रीय और एक राष्ट्रीय रोविंग सेमिनार। जाने पहचाने विदेशी जी आई स्वामियों को भारतीय जी आई स्वामियों के साथ अनुभवों को बांटने के लिए शामिल किया जाए।	वर्ष 2010 व 2011 में क्रमशः एक सेमिनार (एक क्षेत्रीय, एक राष्ट्रीय)
iii.	निर्यात क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए आई पी और एस एम ई के संबंध में राष्ट्रीय सम्मेलन	ब्यौरे का निर्णय होना है।

iv.	आई पी प्रवर्तन अधिकारियों (सीमा शुल्क अधिकारी, न्यायधीश, वरिष्ठ राज्य पुलिस अधिकारी तथा अन्य प्रवर्तन एजेंसियां) के लिए संवेदीकरण रोविंग कार्यशाला	-वही-
v	भारतीय प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के संकायों के लिए आई पी संवेदीकरण कार्यशाला (चार कार्यक्रम)	-वही-
vi.	हेग समझौते पर जोर देते हुए औद्योगिक डिजाइनों पर डब्ल्यू आई पी ओ रोविंग सेमिनार	तिथियां निश्चित होनी हैं।
vii.	पी सी टी के तहत 4 रोविंग सेमिनार	वर्ष 2010 व 2011 में क्रमशः 2-2
4.	**ट्रेडमार्क व पेटेंट पर प्रशिक्षण कार्यक्रम**	
i.	ट्रेडमार्क के परीक्षकों का प्रशिक्षण तथा मैड्रिड नयाचार प्रक्रियाओं के संबंध में जागरूकता पर सेमिनार, अस्वीकृति का आधार, नाईस क्लासीफिकेशंस एंड विएना कोडीफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसिज में परीक्षकों का प्रशिक्षण	ब्यौरे का निर्णय होना है।
ii.	पेटेंट एक्जामीनर्स ऑन इंटरनेशनल पेटेंट क्लासीफिकेशन (आई पी सी) को प्रशिक्षण।	-वही-
iii.	पेटेंटेबिलटी तथा परीक्षण प्रक्रियाओं के संबंध में विशिष्ट क्षेत्र-वार प्रशिक्षण (जैव प्रौद्योगिकी, रसायन आदि)	-वही-
5.	**परंपरागत ज्ञान तथा आनुवांशिक संसाधन**	
i.	पणधारक परामर्शों को संभव बनाने के लिए परंपरागत ज्ञान, आनुवांशिक संसाधनों तथा परंपरागत सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के संबंध में एक अंतर-क्षेत्रीय सेमिनार	2010 के दौरान
ii.	अन्य देशों में टी के डी एल मॉडल को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यू आई पी ओ तथा सी एस आई आर / ए वाई यू एस एच के बीच सहयोग	ब्यौरे का निर्णय होना है।
6.	**पेटेंट सूचना**	
i.	भारत में पेटेंट सूचना के प्रसार का मूल्यांकन तथा आगे का लक्ष्य	2010
ii.	पार्टियों के संबंधित डाटाबेस में शामिल करने के लिए पेटेंट तथा ट्रेडमार्क डाटा का विनिमय	ब्यौरे का निर्णय होना है।
7.	**कॉपीराइट तथा संबंधित अधिकार**	

i.	कॉपीराइट तथा डिजीटल एंवायरमेंट के संबंध में डब्ल्यू आई पी ओ सम्मेलन और प्रवर्तन नीतियों पर ध्यान देना (कॉपीराइट अतिलंघन को नकारने के लिए प्रौद्योगिकी समाधान सहित)	2010 की दूसरी छमाही
ii.	कॉपीराइट कलैक्टिव मैनेजमेंट सोसायटीज इन इंडिया के साथ डब्ल्यू आई पी ओ रोविंग कार्यशालाएं	2010 की दूसरी छमाही
8.	**लघु और मध्यम उद्यम**	
i.	बिजनेस सीरीज प्रकाशन के लिए चार आई पी बुकलेटों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद	ब्यौरे का निर्णय होना है।
ii.	आई पी पैनोरमा के हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषा संस्करण	-वही-
iii.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विशेषकर फार्मासियुटिकल, जैव प्रौद्योगिकी तथा आई सी टी क्षेत्रों के संदर्भ में आई पी पैनोरमा का कस्टमाइजेशन	-वही-
9.	**आई पी कार्यालय का आधुनिकीकरण**	
i.	सबसे अच्छे वैश्विक आई पी ओ के साथ अंतर्राष्ट्रीय बैंच मार्किंग हेतु आई टी अवसंरचना का निर्धारण।	ब्यौरे का निर्णय होना है।
10.	**प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण**	
	भारत में शैक्षणिक, तकनीकी और वैज्ञानिक संस्थानों के लिए आई पी में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	2010 व 2011 में एक-एक

टिप्पणी: ***कार्य योजना उन कार्यकलापों की सूचक है जिन पर अवधि के दौरान विचार किया जाता है तथा जिनका समय-समय पर विस्तार होगा और किसी भी पक्ष की ओर से प्राप्त सुझावों के आधार पर इन पर पुनर्विचार/संशोधन हो सकता है।***

कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सही संख्या/कार्यसूची परामर्श के पश्चात सुनिश्चित होगी।